



# केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

6वां, 7वां एवं 8वां तल, टावर-बी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर,  
नौरोजी नगर, नई दिल्ली - 110029

याचिका सं. 71/टीएल/2025

दिनांक: 12.3.2025

## विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उप-धारा (5) के खंड (क) के अधीन नोटिस

खावड़ा V-ए पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड, बी-9, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कंटवारिया साराय, नई दिल्ली-110016 द्वारा निर्माण, स्वामित्व, प्रचालन और अंतरण आधार (जिसके इसके बाद 'पारेषण योजना/परियोजना' कहा गया है) पर 'फेस-V (8 जीडब्ल्यू): भाग ए के अधीन गुजरात के खावड़ा क्षेत्र में विभव नवीकरणीय ऊर्जा जोन से विद्युत की निकासी' हेतु अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली स्थापित करने के लिए पृथक पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम) की धारा 14 एवं धारा 15 के अधीन आवेदन किया गया है। परियोजना का कार्यक्षेत्र जिसके लिए पारेषण अनुज्ञप्ति की मांग की गई है, निम्नानुसार है:

क्रम सं.	पारेषण घटक का नाम	प्रभावी तारीख से मास में अनुसूचित सीओडी	परियोजना के घटक की अनुसूचित सीओडी पर वसूली योग्य कोटेड पारेषण प्रसारों की प्रतिशतता	संबंधित घटक का वाणिज्यिक प्रचालन (सीओडी) घोषित करने के लिए पूर्वामेक्षित घटक
1ए.*	400 केवी एचवीएसी स्विचयार्ड* के साथ संबद्ध अंतरसंयोजनों के साथ (2x1500 मेगावाट) (बाइपोल-1) 3000 मेगावाट, ± 800 केवी कपीएस2 (एचवीडीसी) [एलसीसी] टर्मिनल स्टेशन की स्थापना	बाइपोल 1 (2x1500 मेगावाट) और अन्य सभी घटकों	31.03%	सभी घटकों (बाइपोल 2 (2x1500मेगावाट) को छोड़कर) को 48 मास में एक साथ आरंभ किया जाना आवश्यक है क्योंकि उनका उपयोग एक दूसरे के आरंभ होने पर निर्भर है। बाइपोल 2 (2x1500मेगावाट) को 54 मास में चालू किया जाएगा।
2ए.*	400 केवी एचवीएसी स्विचयार्ड* के साथ संबद्ध अंतरसंयोजनों के साथ (2x1500 मेगावाट) (बाइपोल-1) 3000 मेगावाट, ± 800 केवी नागपुर (एचवीडीसी) [एलसीसी] टर्मिनल स्टेशन की स्थापना	[क्रमांक 1ए, 2ए, 3, 4, 5 और 6 में उल्लिखित] के लिए 48 मास और	31.03%	
1बी.*	400 केवी एचवीएसी स्विचयार्ड* के साथ संबद्ध अंतरसंयोजनों के साथ (2x1500 मेगावाट) (बाइपोल-2) 3000 मेगावाट, ± 800 केवी कपीएस2 (एचवीडीसी) [एलसीसी] टर्मिनल स्टेशन की स्थापना	बाइपोल 2 (2x1500 मेगावाट)		
2बी.*	400 केवी एचवीएसी स्विचयार्ड* के साथ संबद्ध अंतरसंयोजनों के साथ (2x1500 मेगावाट) (बाइपोल-2) 3000 मेगावाट, ± 800 केवी नागपुर (एचवीडीसी) [एलसीसी] टर्मिनल स्टेशन की स्थापना	[क्रमांक 1बी और 2बी में उल्लिखित] के लिए 54 मास (एसपीवी अंतरण की तारीख से)		
3	कपीएस2 (एचवीडीसी) और नागपुर (एचवीडीसी) (1200 किमी) के बीच ± 800 केवी एचवीडीसी बाइपोल लाइन (हेक्स लेपविंग) (डेडिकेटेड मेटैलिक रिटर्न के साथ) (यथा विनिर्दिष्ट ओवरलोड के साथ 6000 मेगावाट की निकासी करने में सक्षम)		37.94%	
4	एचवीडीसी स्विचयार्ड* के साथ संबद्ध अंतरसंयोजनों के साथ 2x330 एमवीएआर (765 केवी) और 2x125 एमवीएआर, 420 केवी बस रिपैक्टर्स के साथ नागपुर एस/एस में 6x1500 एमवीए, 765/400 केवी आईसीटी की स्थापना। 400 केवी बस को 400 केवी बस सेक्शनलाइजर के 1 सेट के माध्यम से 2 खंडों में स्थापित किया जाएगा ताकि प्रत्येक खंड में 3x1500 एमवीए आईसीटी रखे जा सकें। बस सेक्शनलाइजर सामान्य रूप से बंद रहेगा और ग्रिड की आवश्यकता के आधार पर खोला जा सकता है। • 765/400 केवी, 1500 एमवीए आईसीटी-6 (प्रत्येक 400 केवी सेक्शन पर 3) (एक स्पेयर युनिट सहित 19 सिंगल फेज युनिट) • 765 केवी आईसीटी बे-6 नंबर • 400 केवी आईसीटी बे-6 नंबर (प्रत्येक सेक्शन पर 2)			

- 330 एमवीएआर 765 केवी बस रिपक्टर-2 नंबर
  - 125 एमवीएआर 420 केवी बस रिपक्टर-2 नंबर (प्रत्येक सेक्शन पर एक)
  - 765 केवी रिपक्टर बे- 2 नंबर
  - 765 केवी लाइन बे- 4 नंबर
  - 400 केवी रिपक्टर बे- 2 नंबर (प्रत्येक सेक्शन पर एक)
  - 400 केवी बस सेक्शनलाइजर - 1 सेट
  - 110 एमवीएआर, 765 केवी, 1-पीएच रिपक्टर (लाइन/बस रिपक्टर के लिए स्पेयर यूनिट) - 1 नं.
- नागपुर में निम्नलिखित के लिए भावी प्रावधान:
- 765/400 केवी, 1500 एमवीए आईसीटी-4 (400 केवी बस सेक्शन-II पर 1 और भविष्य के 400 केवी बस सेक्शन-III पर 3)
  - स्विचबल लाइन रिपक्टरों के साथ 765 केवी लाइन बे - 10 नं.
  - बे के साथ 765 केवी बस रिपक्टर: 2 नं.
  - 765 केवी सेक्शनलाइजर बे: 1-सेट
  - स्विचबल लाइन रिपक्टर के साथ 400 केवी लाइन बे - 12 नं.
  - 400 केवी बस सेक्शनलाइजर- 1 सेट
  - बे के साथ 400/220 केवी आईसीटी -9 नंबर (400 केवी बस सेक्शन II पर 3 नंबर और भविष्य के बस सेक्शन III पर 6 नंबर)
  - बे के साथ 400 केवी बस रिपक्टर: 4 नंबर (400 केवी बस सेक्शन I और II प्रत्येक पर 1 और भविष्य के 400 केवी बस सेक्शन III पर 2)
  - 220 केवी लाइन बे: 16 नंबर
  - 220 केवी सेक्शनलाइजेशन बे: 2 सेट
  - 220 केवी बीसी और टीबीसी: 3 नंबर
  - 80 एमवीएआर, 765 केवी, 1-पीएच रिपक्टर (लाइन रिपक्टर के लिए स्पेयर यूनिट)-1

5	नागपुर में वर्धा-रायपुर 765 केवी एक डी / सी लाइन (2xडी / सी लाइनों में से) का लौला
6	नागपुर-रायपुर 765 केवी डी / सी लाइन के प्रत्येक सर्किट पर नागपुर छोर पर 240 एमवीएआर स्विचबल लाइन रिपक्टर का संस्थापन <ul style="list-style-type: none"> <li>• 240 एमवीएआर, 765 केवी स्विचबल लाइन रिपक्टर- 2 संख्या (नागपुर छोर पर)</li> <li>• 765 केवी लाइन रिपक्टर के लिए स्विचिंग इक्विपमेंट- 2 नंबर (नागपुर छोर पर)</li> <li>• 80 एमवीएआर, 765 केवी, 1-पीएच रिपक्टर (लाइन रिपक्टर के लिए स्पेयर यूनिट)-1 नंबर</li> </ul>

\*एचवीडीसी और एचवीएसी स्विचयार्ड के बीच 400 केवी अंतरसंयोजन (सभी संबद्ध इक्विपमेंट / बस एक्सटेंशन आदि के साथ) टीएसपी द्वारा कार्यान्वित किए जाएंगे।

# केपीएस2 और नागपुर में 6000 मेगावाट, ± 800 केवी एचवीडीसी [एलसीसी] टर्मिनल स्टेशन (4x1500 मेगावाट) के संबंध में दायरा, 3000 मेगावाट, ± 800 केवी एचवीडीसी [एलसीसी] टर्मिनल स्टेशन (2x1500 मेगावाट) बाइपोल-1 (क्रमांक 1ए और 2ए) और 3000 मेगावाट, ± 800 केवी एचवीडीसी [एलसीसी] टर्मिनल स्टेशन (2x1500 मेगावाट) बाइपोल-2 (क्रमांक 1बी और 2बी) में विभाजित किया गया है, ताकि कोटेड पारेषण प्रभारों के प्रतिशत की गणना की जा सके।

नोट:

- i. 2x1500 मेगावाट पोल्स, केपीएस2 के 400 केवी बस सेक्शन 1 से निकलेंगे और नागपुर के बस सेक्शन 1 पर समाप्त होंगे। इसी प्रकार, अन्य 2x1500 मेगावाट के पोल्स केपीएस2 के 400 केवी बस सेक्शन 2 से निकलेंगे और नागपुर के बस सेक्शन 2 पर समाप्त होंगे।
- ii. एचवीडीसी प्रणाली को 100% पावर रिवर्सल क्षमता को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया जाएगा। रेटेड विद्युत पारेषण क्षमता के साथ-साथ रेटेड पारेषण बोल्डता को एसी यार्ड के रेक्टिफायर छोर पर परिभाषित और गारंटीकृत किया जाएगा।
- iii. केपीएस2 का टीएसपी संपर्क दायरे के अनुसार एचवीडीसी प्रणाली की स्थापना के लिए स्थान प्रदान करेगा।
- iv. कार्यान्वयन समय-सीमा: बाइपोल-1 (2x1500 मेगावाट) और बाइपोल 2 (2x1500 मेगावाट) को छोड़कर अन्य सभी तत्वों के लिए 48 मास तथा बाइपोल-2 (2x1500 मेगावाट) के लिए 54 महीने (एसपीवी अधिग्रहण की तारीख से)।
5. सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने दिनांक 4.12.2024 के अपने पत्र के माध्यम से प्रस्तावित पारेषण प्रणाली की स्थापना के लिए आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु संस्तुत किया है।
6. रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री के आधार पर, आयोग ने याचिका सं. 71 / टीएल / 2025 में दिनांक 12.3.2025 के आदेश द्वारा उपर्युक्त पैरा 1 में यथोचित पारेषण योजना की स्थापना हेतु आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति जारी किए जाने का प्रस्ताव किया है।
7. **खावड़ा IV ए पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड** को अलरखाजिक पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आवेदक द्वारा आयोग के समक्ष किए गए अनुरोध एवं अनुलग्नकों सहित आवेदन की प्रति को वेबसाइट [www.powergrid.in/subsidiaries](http://www.powergrid.in/subsidiaries) पर देखा जा सकता है या निर्धारित क्रियाविधि का अनुपालन करते हुए आयोग के कार्यालय में किसी व्यक्ति द्वारा इसका निरीक्षण किया जा सकता है।
8. नोटिस, अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (5) के खंड (क) के अनुसरण में दिया गया है कि उक्त के अनुसार, आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आयोग के प्रस्ताव में सुझावों या आपत्तियों, यदि कोई हों, को उक्त पत्र पर दिनांक 24.3.2025 तक अधोहस्ताक्षरी को भेज दिया जाए। विनिर्दिष्ट तारीख के बाद प्राप्त हुए सुझावों या आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।
9. आयोग द्वारा दिनांक 25.3.2025 को आवेदन पर आगे की सुनवाई की जाएगी। कोई भी व्यक्ति जो सुझावों या आपत्तियों को दर्ज करता है, वह इस सुनवाई में अपने स्वविवेक से उपस्थित रह सकता है जिसके लिए आयोग द्वारा कोई टीए / डीए नहीं दिया जाएगा।

हस्ता/-  
(हरप्रत सिंह पुथी)  
सचिव